राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : सितम्बर 09, 2021

सं.एफ.2(2)वित्त/कर/2021-43:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 2(2)वित्त/कर/2021-43 दिनांक 19.07.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक जुलाई 19, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2021 के उपबंधों के अधीन यथा परिभाषित और फायदे के लिए पहचान की गयी पात्र अलाभकारी संस्था के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पति के विक्रय, पट्टा या दान की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये हकदारी प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर, परिहार किया जायेगा।

[सं.एफ. 2(2)वित्त/कर/2021-43]
राज्यपाल के आदेश से,

ह0
(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव